

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :- 230/2022

अनवान मुकदमा -

1. मुकेश कुमार पुत्र निहालचन्द जाति बिश्नोई साकिन जोडकिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. राकेश कुमार पुत्र वेदप्रकाश जाति बिश्नोई साकिन जोडकिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

-- वादीगण

बनाम

1. निहालचन्द पुत्र शिवराज जाति बिश्नोई साकिन जोडकिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. शेष किरण पुत्र वेदप्रकाश जाति बिश्नोई साकिन जोडकिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. निर्मल कुमार सहारण पुत्र दलीप कुमार जाति बिश्नोई साकिन जोडकिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. चन्द्रकला पत्नी निहालचन्द जाति बिश्नोई साकिन जोडकिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. सुनीता पुत्री निहालचन्द जाति बिश्नोई साकिन जोडकिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. पुष्पा पुत्री निहालचन्द जाति बिश्नोई साकिन जोडकिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. प्रियंका पुत्री निहालचन्द जाति बिश्नोई साकिन जोडकिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. संतोष पुत्री निहालचन्द जाति बिश्नोई साकिन जोडकिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
9. सुनीता पत्नी दलीप जाति बिश्नोई साकिन जोडकिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
10. सविना पुत्री दलीप जाति बिश्नोई साकिन जोडकिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
11. कलावती पत्नी वेदप्रकाश जाति बिश्नोई साकिन जोडकिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
12. प्रमिला पुत्री वेदप्रकाश जाति बिश्नोई साकिन जोडकिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पदमपुर/नायब तहसीलदार बींझबायला जिला श्रीगंगानगर।

-- प्रतिवादीगण

--: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 49 रा.का.अधि. बाबत घोषणा, खाता विभाजन**एवं विनिमय :-****--: उपस्थित अभिभाषकगण :-**

1. श्री हीरालाल बिरथलिया, अधिवक्ता --- वादीगण
2. श्री बलवीर मोयल, अधिवक्ता --- प्रतिवादी सं. 1 ता 12



17.06.2022
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

3. राज पेरोकार तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा --- प्रतिवादी सं. 13
 4. राज पेरोकार तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा --- प्रतिवादी सं. 14

-:: निर्णय :-

दिनांक - 17/6/22

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 49 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का स्थाई पता वाद पत्र के शीर्षक के व्यवहार सहिता के आदेश 6 नियम 14 ए के अनुसार सही अंकित किया गया है। वाद पत्र दो प्रतियो मय शपथ पत्र मे समर्पित प्रस्तुत किया गया है।

वादीगण हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर सहदायिक एवं सहअंशदायी है। उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार के कर्ता वादीगण के दादा श्री शिवराज थे। जहां तक वाद पत्र का संबंध है सजरा खानदान पेश किया गया है।

तहसील पीलीबंगा के चक नं. 37 एमओडी के खाता सं. 23 के प.नं. 43/262, 43/264, 44/265 की कुल 3.036 हैक्. नहरी म.गै.मु. मे से प्रतिवादी सं. 1 का 1/6 हिस्सा, वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 2-11-12 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3, 9, 10 प्रत्येक का 1/18 हि. मुताबिक नकल जमाबन्दी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र की गई है।

तहसील पीलीबंगा के चक नं. 37 एमओडी के खाता सं. 24 के प.नं. 43/265 की कुल 3.289 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा, वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 2- 11-12 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3, 9, 10 प्रत्येक का 1/9 हि. मुताबिक नकल जमाबन्दी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र की गई है।

तहसील पीलीबंगा के चक नं. 37 एमओडी के खाता सं. 17 के प.नं. 43/262, 44/265, 44/266 की कुल 6.413 हैक्. नहरी म.गै.मु. मे से प्रतिवादी सं. 1 का 1252/6413 हिस्सा, वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 2-11-12 प्रत्येक का 23/1166 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3, 9, 10 के पति, पिता दलीप का 46/583 हि. मुताबिक नकल जमाबन्दी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र की गई है।

तहसील पीलीबंगा के चक नं. 37 एमओडी के खाता सं. 41 के प.नं. 42/264, 44/263, 44/264, 45/263, 45/264 की कुल 9.033 हैक्. नहरी म.गै.मु. मे से प्रतिवादी सं. 1 का 245/9033 हिस्सा, वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 2-11-12 प्रत्येक का 91/6022 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3, 9, 10 प्रत्येक का 545/27099 हि. मुताबिक नकल जमाबन्दी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र की गई है।

तहसील पीलीबंगा के चक नं. 37 एमओडी के खाता सं. 55 के प.नं. 42/264, 45/265 की कुल 8.096 हैक्. नहरी म.गै.मु. मे से प्रतिवादी सं. 1 का 1439/16192 हिस्सा, वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 2-11-12 प्रत्येक का 225/16192 हिस्सा,

17.06.2022
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रतिवादी सं. 3, 9, 10 प्रत्येक का 75/4048 हि. मुताबिक नकल जमाबन्दी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र की गई है।

तहसील पीलीबंगा के चक नं. 38 एमओडी के खाता सं. 21 के प.नं. 43/261, 44/261, 44/262, 44/263, 45/259, 45/260, 45/262, 45/263, 46/259, 46/260, 46/262, 46/263 की कुल 44.085 हैक्. नहरी म.गै.मु. मे से प्रतिवादी सं. 1 का 1562/43647 हिस्सा, वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 2-11-12 प्रत्येक का 574/43647 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3, 9, 10 प्रत्येक का 2296/130941 हि. मुताबिक नकल जमाबन्दी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र की गई है।

तहसील पीलीबंगा के चक नं. 10 बीएलडब्ल्यू के खाता सं. 43 के प.नं. 47/249 की कुल 3.795 हैक्. नहरी म.गै.मु. मे से प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा, वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 2-11-12 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3, 9, 10 प्रत्येक का 1/12 हि. मुताबिक नकल जमाबन्दी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र की गई है।

तहसील पदमपुर के चक नं. 83 एलएनपी के खाता सं. 114 के मु.नं. 21 के किला नं. 1 की 0.253 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 11, 4, 9 का ब.हि.ब. मुताबिक नकल जमाबन्दी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र की गई है।

तहसील पदमपुर के चक नं. 83 एलएनपी के खाता सं. 14 के मु.नं. 21 के किला नं. 2 ता 25 की 6.072 हैक्., मु.नं. 29 के किला नं. 23/1, 23/2 की 0.253 हैक्. कुल तादादी 6.325 हैक्. प्रतिवादी सं. 11, 4, 9 का ब.हि.ब. मुताबिक नकल जमाबन्दी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र की गई है।

तहसील पदमपुर के चक नं. 83 एलएनपी के खाता सं. 37 के मु.नं. 30 के किला नं. 9/2, 11, 12, 19, 22 की 1.038 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 1 का 1/6 हिस्सा, वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 11-12 प्रत्येक का 43/1038 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 22/519 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3, 9, 10 प्रत्येक का 1/18 हि. मुताबिक नकल जमाबन्दी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र की गई है।

तहसील पदमपुर के चक नं. 84 एलएनपी के खाता सं. 41 के मु.नं. 76, 77, 86 की कुल 6.325 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 1 का 351/6325 हिस्सा, वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 2-12 प्रत्येक का 8/575 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 11 का 87/6325 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3, 9, 10 प्रत्येक का 32/1725 हि. मुताबिक नकल जमाबन्दी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र की गई है।

वाद पत्र की दफा 3 ता 13 मे बर्णित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जो कि संयुक्त हिन्दु परिवार की कृषि भूमि है। चूकि वादी सं. 1 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से वादग्रस्त रकबा दर्ज राजस्व अभिलेख है जो कि वादी सं. 1 की पैतृक कृषि भूमि है और प्रतिवादी सं. 2, 11, 12 तथा प्रतिवादी सं. 3, 9, 10

12/06/2022
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

को विरासतन प्राप्त शुदा रकबा है वादग्रस्त रकबा अलग- अलग खातों तथा अलग - अलग चक व तहसील मे दर्ज होने से वादीगण व प्रतिवादीगण को काशत करने मे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए वादग्रस्त रकबा का वादीगण व प्रतिवादीगण ने काशत की सहूलियत एवं भूमि का एकीकरण करने के लिए घरू बंटवारा एवं आपसी तबादला किया गया तथा घरू बंटवारा के समय प्रतिवादी सं. 11, 12 ने अपना हक व हिस्सा वादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 2 के हक मे, प्रतिवादी सं. 4 ता 8 ने अपना हक व हिस्सा वादी सं. 1 के हक मे व प्रतिवादी सं. 10 ने अपना हक व हिस्सा प्रतिवादी सं. 3, 10 के पक्ष मे मौखिक रूप से त्याग दिया था तत्पश्चात वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 9 को निम्न प्रकार से कृषि भूमि प्राप्त हुई:-

क. वादी सं.1 मुकेश कुमार को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि:-

- चक 37 एमओडी के खाता सं. 55 के प.नं. 42/264, 45/265 की कुल 8.096 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 1 के 1439/16192 हिस्सा, वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 2-11-12 प्रत्येक के 225/16192 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3, 9, 10 प्रत्येक के 75/4048 हि. समस्त प्राप्त हुआ।

- चक 37 एमओडी के खाता सं. 23 के प.नं. 43/262, 43/264, 44/265 की कुल 3.036 हैक्. नहरी म.गै.मु. मे से प्रतिवादी सं. 1 के 1/6 हिस्सा समस्त, वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 2-11-12 प्रत्येक के 1/12 हिस्सा समस्त प्राप्त हुआ

- चक नं. 37 एमओडी के खाता सं. 17 के प.नं. 43/262, 44/265, 44/266 की कुल 6.413 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 1 के 1252/6413 हिस्सा, वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 2-11-12 प्रत्येक के 23/1166 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3, 9, 10 के पति, पिता दलीप का 46/583 हि. समस्त प्राप्त हुआ


- चक नं. 37 एमओडी के खाता सं. 41 के प.नं. 42/264, 44/263, 44/264, 45/263, 45/264 की कुल 9.033 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 1 के 245/9033 हिस्सा, वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 2-11-12 प्रत्येक के 91/6022 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3, 9, 10 प्रत्येक के 545/27099 हि. समस्त प्राप्त हुआ।

- चक नं. 38 एमओडी के खाता सं. 21 के प.नं. 43/261, 44/261, 44/262, 44/263, 45/259, 45/260, 45/262, 45/263, 46/259, 46/260, 46/262, 46/263 की कुल 44.085 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 1, वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 2-11-12, 3, 9, 10 मे से वादी सं. 1 को 0.369 हैक्.

- चक नं. 84 एलएनपी के खाता सं. 41 के मु.नं. 76, 77, 86 की कुल 6.325 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 1, प्रतिवादी सं. 2-12, 3, 9, 10 के हि. मे से 0.533 हैक्.

ख. वादी सं. 2 राकेश कुमार को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि:-

- चक नं. 37 एमओडी के खाता सं. 23 के प.नं. 43/262, 43/264, 44/265 की कुल 3.036 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 3, 9, 10 प्रत्येक के 1/18 हि. समस्त प्राप्त हुआ

 17.06.2022

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

- चक नं. 38 एमओडी के खाता सं. 21 के प.नं. 43/261, 44/261, 44/262, 44/263, 45/259, 45/260, 45/262, 45/263, 46/259, 46/260, 46/262, 46/263 की कुल 44.085 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 1, वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 2-11-12, 3, 9, 10 मे से वादी सं. 2 को 5.845 हैक्.

- चक नं. 83 एलएनपी के खाता सं. 14 के मु.नं. 21 के किला नं. 2, 9, 12 की 0.759 हैक्.

- चक नं. 84 एलएनपी के खाता सं. 41 के मु.नं. 76, 77, 86 की कुल 6.325 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 1, प्रतिवादी सं. 2-12, 3, 9, 10 के हि. मे से 0.520 हैक्.

ग. प्रतिवादी सं. 1 निहालचन्द को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि:-

- चक नं. 37 एमओडी के खाता सं. 24 के प.नं. 43/265 की कुल 3.289 हैक्. समस्त प्राप्त हुई

घ. प्रतिवादी सं. 3 निर्मल कुमार सहारण को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि:-

- चक नं. 10 बीएलडब्ल्यू के खाता सं. 43 के प.नं. 47/249 की कुल 3.795 हैक्. समस्त

- चक नं. 83 एलएनपी के खाता सं. 37 के मु.नं. 30 के किला नं. 9/2, 11, 12, 19, 22 की 1.038 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 1 के 1/6 हिस्सा, वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 11-12 प्रत्येक के 43/1038 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 22/519 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 9, 10 प्रत्येक के 1/18 हि. समस्त

ङ प्रतिवादी सं. 9 सुनीता को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि:-

- चक नं. 83 एलएनपी के खाता सं. 114 के मु.नं. 21 के किला नं. 1 की 0.253 हैक्., खाता सं. 14 के मु.नं. 21 के किला नं. 10, 11, 19 ता 22 की 1.518 हैक्., मु.नं. 29 के किला नं. 23/1, 23/2 की 0.253 हैक्. कुल तादादी 2.024 हैक्.

च. प्रतिवादी सं. 2 शेष किरण को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि:

- चक नं. 83 एलएनपी के खाता सं. 14 के मु.नं. 21 के किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 की 3.795 हैक्.

वाद पत्र की दफा 14 "क से च" मे वर्णितानुसार घरू बंटवारा एवं तबादला अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 9 का कब्जा चला आ रहा है और वर्तमान मे इसी अनुसार फसल काशत की हुई है लेकिन राजस्व अभिलोख मे वादग्रस्त रकबा मुताबिक घरू बंटवार एवं तबादला अनुसार दर्ज नही होने से वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है तथा वादीगण को राजकीय सुविधायें प्राप्त करने मे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए वादीगण वाद पत्र की दफा 14 "क से च" मे वर्णितानुसार कृषि भूमि की घोषणा करवाने, खाता तकसीम एवं विनिमय करवाने के अधिकारी हैं।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन किया गया है कि वाद वादीगण निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे:-

17.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
सुपखण्ड अधिकारी पीलीभीत

क. कि घोषित किया जावे कि वाद पत्र की दफा 14 "क से च" मे वर्णितानुसार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 9 खातेदार काश्तकार है।

ख. कि मुताबिक अनुतोष "क" वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 9 की कृषि भूमि का आपसी खाता तकसीम एवं विनिमय किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। राजपैरोकार से स्टेट जवाब प्राप्त हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512 आरटीए की धारा 40-53, 38-39-40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआईआर 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975-478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आरटीए की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।


राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व(ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प. 5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषको में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार का पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र का पैतृक सम्पति में से जोत का विभाजन करवा सकता है।

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 49(1) मे स्पष्ट है कि कोई खातेदार अभिधारी जो ऐसे किसी क्षेत्र का जिसे वह जोतता है, समेकन करना चाहे तो वह सहायक कलेक्टर से उस भूमि के जसे वह जोतता है किसी भाग का किसी अन्य खातेदार अभिधारी द्वारा जोती जाने वाले भूमि से विनिमय करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

-:: आदेश ::-

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदाद होने के कारण



सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा


उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53, 49 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि के निम्नानुसार विनिमय करते हुए खाता तकसीम कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है -

क. वादी सं. 1 मुकेश कुमार को प्राप्त भूमि:-

1. चक 37 एमओडी के खाता सं. 55 के प.नं. 42/264, 45/265 की कुल 8.096 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 1 के 1439/16192 हिस्सा, वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 2-11-12 प्रत्येक के 225/16192 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3, 9, 10 प्रत्येक के 75/4048 हि. समस्त।
2. चक 37 एमओडी के खाता सं. 23 के प.नं. 43/262, 43/264, 44/265 की कुल 3.036 हैक्. नहरी म.गै.मु. मे से प्रतिवादी सं. 1 के 1/6 हिस्सा समस्त, वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 2-11-12 प्रत्येक के 1/12 हिस्सा समस्त।
3. चक नं. 37 एमओडी के खाता सं. 17 के प.नं. 43/262, 44/265, 44/266 की कुल 6.413 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 1 के 1252/6413 हिस्सा, वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 2-11-12 प्रत्येक के 23/1166 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3, 9, 10 के पति, पिता दलीप का 46/583 हि. समस्त।
4. चक नं. 37 एमओडी के खाता सं. 41 के प.नं. 42/264, 44/263, 44/264, 45/263, 45/264 की कुल 9.033 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 1 के 245/9033 हिस्सा, वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 2-11-12 प्रत्येक के 91/6022 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3, 9, 10 प्रत्येक के 545/27099 हि. समस्त।
5. चक नं. 38 एमओडी के खाता सं. 21 के प.नं. 43/261, 44/261, 44/262, 44/263, 45/259, 45/260, 45/262, 45/263, 46/259, 46/260, 46/262, 46/263 की कुल 44.085 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 1, वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 2-11-12, 3, 9, 10 मे से वादी सं. 1 को 0.369 हैक्.
6. चक नं. 84 एलएनपी के खाता सं. 41 के मु.नं. 76, 77, 86 की कुल 6.325 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 1 से 3, 9 ता 12 के हि. मे से 0.533 हैक्.

ख. वादी सं. 2 राकेश कुमार को प्राप्त भूमि:-

1. चक नं. 37 एमओडी के खाता सं. 23 के प.नं. 43/262, 43/264, 44/265 की कुल 3.036 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 3, 9, 10 प्रत्येक के 1/18 हि. समस्त।
2. चक नं. 38 एमओडी के खाता सं. 21 के प.नं. 43/261, 44/261, 44/262, 44/263, 45/259, 45/260, 45/262, 45/263, 46/259, 46/260, 46/262, 46/263 की कुल 44.085 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 1, वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 2-11-12, 3, 9, 10 मे से वादी सं. 2 को 5.845 हैक्.।
3. चक नं. 83 एलएनपी के खाता सं. 14 के मु.नं. 21 के किला नं. 2, 9, 12 की 0.759 हैक्.।


17.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंरा

4. चक नं. 84 एलएनपी के खाता सं. 41 के मु.नं. 76, 77, 86 की कुल 6.325 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 1 से 3, 9 ता 12 के हि. मे से 0.520 हैक्.

ग. प्रतिवादी सं. 1 निहालचन्द को प्राप्त भूमि:-

1. चक नं. 37 एमओडी के खाता सं. 24 के प.नं. 43/265 की कुल 3.289 हैक्. समस्त।

घ. प्रतिवादी सं. 3 निर्मल कुमार सहारण को प्राप्त भूमि:-

1. चक नं. 10 बीएलडब्ल्यू के खाता सं. 43 के प.नं. 47/249 की कुल 3.795 हैक्. समस्त।

2. चक नं. 83 एलएनपी के खाता सं. 37 के मु.नं. 30 के किला नं. 9/2, 11, 12, 19, 22 की 1.038 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 1 के 1/6 हिस्सा, वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 11-12 प्रत्येक के 43/1038 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 22/519 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 9, 10 प्रत्येक के 1/18 हि. समस्त में प्राप्त भूमि।

ङ. प्रतिवादी सं. 9 सुनीता को प्राप्त भूमि:-

1. चक नं. 83 एलएनपी के खाता सं. 114 के मु.नं. 21 के किला नं. 1 की 0.253 हैक्., खाता सं. 14 के मु.नं. 21 के किला नं. 10, 11, 19 ता 22 की 1.518 हैक्., मु.नं. 29 के किला नं. 23/1, 23/2 की 0.253 हैक्. कुल तादादी 2.024 हैक्.।

च. प्रतिवादी सं. 2 शेष किरण को प्राप्त भूमि :-

1. चक नं. 83 एलएनपी के खाता सं. 14 के मु.नं. 21 के किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 की 3.795 हैक्.।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा/पदमपुर/नायब तहसीलदार बींझबायला को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

17.06.2022
(रणजीत कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी एवम्
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(आ०-20 रूल 6, 7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस

मुकदमा संख्या :- 230/2022

अनवान मुकदमा -

1. मुकेश कुमार पुत्र निहालचन्द जाति बिश्नोई साकिन जोडकिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. राकेश कुमार पुत्र वेदप्रकाश जाति बिश्नोई साकिन जोडकिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।


-- वादीगण

बनाम

1. निहालचन्द पुत्र शिवराज जाति बिश्नोई साकिन जोडकिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. शेष किरण पुत्र वेदप्रकाश जाति बिश्नोई साकिन जोडकिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. निर्मल कुमार सहारण पुत्र दलीप कुमार जाति बिश्नोई साकिन जोडकिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. चन्द्रकला पत्नी निहालचन्द जाति बिश्नोई साकिन जोडकिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. सुनीता पुत्री निहालचन्द जाति बिश्नोई साकिन जोडकिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. पुष्पा पुत्री निहालचन्द जाति बिश्नोई साकिन जोडकिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. प्रियंका पुत्री निहालचन्द जाति बिश्नोई साकिन जोडकिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. संतोष पुत्री निहालचन्द जाति बिश्नोई साकिन जोडकिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
9. सुनीता पत्नी दलीप जाति बिश्नोई साकिन जोडकिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
10. सविना पुत्री दलीप जाति बिश्नोई साकिन जोडकिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
11. कलावती पत्नी वेदप्रकाश जाति बिश्नोई साकिन जोडकिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
12. प्रमिला पुत्री वेदप्रकाश जाति बिश्नोई साकिन जोडकिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पदमपुर/नायब तहसीलदार बींझबायला जिला श्रीगंगानगर।

-- प्रतिवादीगण

:- वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 49 रा.का.अधि. बाबत घोषणा, खाता विभाजन एवं विनिमय :-

 17.06.2022
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

-:: डिक्री ::-

दिनांक - 17/6/2022


वादीगण की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 12 की ओर श्री बलवीर मोयल, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार^{आरएस} उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53, 49 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि के निम्नानुसार विनिमय करते हुए खाता तकसीम कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं -

क. वादी सं. 1 मुकेश कुमार को प्राप्त भूमि:-

1. चक 37 एमओडी के खाता सं. 55 के प.नं. 42/264, 45/265 की कुल 8.096 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 1 के 1439/16192 हिस्सा, वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 2-11-12 प्रत्येक के 225/16192 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3, 9, 10 प्रत्येक के 75/4048 हि. समस्त।
2. चक 37 एमओडी के खाता सं. 23 के प.नं. 43/262, 43/264, 44/265 की कुल 3.036 हैक्. नहरी म.गै.मु. मे से प्रतिवादी सं. 1 के 1/6 हिस्सा समस्त, वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 2-11-12 प्रत्येक के 1/12 हिस्सा समस्त।
3. चक नं. 37 एमओडी के खाता सं. 17 के प.नं. 43/262, 44/265, 44/266 की कुल 6.413 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 1 के 1252/6413 हिस्सा, वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 2-11-12 प्रत्येक के 23/1166 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3, 9, 10 के पति, पिता दलीप का 46/583 हि. समस्त।
4. चक नं. 37 एमओडी के खाता सं. 41 के प.नं. 42/264, 44/263, 44/264, 45/263, 45/264 की कुल 9.033 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 1 के 245/9033 हिस्सा, वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 2-11-12 प्रत्येक के 91/6022 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3, 9, 10 प्रत्येक के 545/27099 हि. समस्त।
5. चक नं. 38 एमओडी के खाता सं. 21 के प.नं. 43/261, 44/261, 44/262, 44/263, 45/259, 45/260, 45/262, 45/263, 46/259, 46/260, 46/262, 46/263 की कुल 44.085 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 1, वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 2-11-12, 3, 9, 10 मे से वादी सं. 1 को 0.369 हैक्.
6. चक नं. 84 एलएनपी के खाता सं. 41 के मु.नं. 76, 77, 86 की कुल 6.325 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 1 से 3, 9 ता 12 के हि. मे से 0.533 हैक्.

ख. वादी सं. 2 राकेश कुमार को प्राप्त भूमि:-

1. चक नं. 37 एमओडी के खाता सं. 23 के प.नं. 43/262, 43/264, 44/265 की कुल 3.036 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 3, 9, 10 प्रत्येक के 1/18 हि. समस्त।
2. चक नं. 38 एमओडी के खाता सं. 21 के प.नं. 43/261, 44/261, 44/262, 44/263, 45/259, 45/260, 45/262, 45/263, 46/259, 46/260, 46/262, 46/263

 17.06.2022

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

की कुल 44.085 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 1, वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 2-11-12, 3, 9, 10 मे से वादी सं. 2 को 5.845 हैक्.।

3. चक नं. 83 एलएनपी के खाता सं. 14 के मु.नं. 21 के किला नं. 2, 9, 12 की 0.759 हैक्.।

4. चक नं. 84 एलएनपी के खाता सं. 41 के मु.नं. 76, 77, 86 की कुल 6.325 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 1 से 3, 9 ता 12 के हि. मे से 0.520 हैक्.

ग. प्रतिवादी सं. 1 निहालचन्द को प्राप्त भूमि:-

1. चक नं. 37 एमओडी के खाता सं. 24 के प.नं. 43/265 की कुल 3.289 हैक्. समस्त।

घ. प्रतिवादी सं. 3 निर्मल कुमार सहारण को प्राप्त भूमि:-

1. चक नं. 10 बीएलडब्ल्यू के खाता सं. 43 के प.नं. 47/249 की कुल 3.795 हैक्. समस्त।

2. चक नं. 83 एलएनपी के खाता सं. 37 के मु.नं. 30 के किला नं. 9/2, 11, 12, 19, 22 की 1.038 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 1 के 1/6 हिस्सा, वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 11-12 प्रत्येक के 43/1038 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 22/519 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 9, 10 प्रत्येक के 1/18 हि. समस्त में प्राप्त भूमि।

ङ. प्रतिवादी सं. 9 सुनीता को प्राप्त भूमि:-


1. चक नं. 83 एलएनपी के खाता सं. 114 के मु.नं. 21 के किला नं. 1 की 0.253 हैक्., खाता सं. 14 के मु.नं. 21 के किला नं. 10, 11, 19 ता 22 की 1.518 हैक्., मु.नं. 29 के किला नं. 23/1, 23/2 की 0.253 हैक्. कुल तादादी 2.024 हैक्.।

च. प्रतिवादी सं. 2 शेष किरण को प्राप्त भूमि :-

1. चक नं. 83 एलएनपी के खाता सं. 14 के मु.नं. 21 के किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 की 3.795 हैक्.।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा/पदमपुर/ नायब तहसीलदार बींझबायला को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थंगन नही हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अकनं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 17.6.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रणजीत कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी राजस्व पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा